निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।

फोन :– 0141–2612591, ,फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकःनिगृर / स्था / ई–1 (2–6) 2020 / 26853-66 दिनांक 27/8/2020

:– आदेश –:

राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा–2018 के चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःप.1(2)प्रसु. / अनु–3 / 2020 दिनांक 18.06.2020 द्वारा विभाग को आँवटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम–1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ. 15 (1) एफ.डी. / रूल्स / 2017 दिनांकः 30.10.2017 के शिडयूल–4 के तहत पे–मेट्रिक्स के पे लेवल–5 में 14600 / – (अक्षरे रूपये चोदह हजार छः सो मात्र) नियत पारिश्रमिक मासिक की दर से अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से **श्री रवि कुमार मल्होत्रा पुत्र श्री मोहन लाल मल्होत्रा, (एस.सी.), जन्म तिथि 08.10.1993 मेरिट क्रमांक 18693** को नियुक्ति प्रदान की जाकर **गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर** में पदस्थापित किया जाता है।

1. श्री रवि कुमार मल्होत्रा को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारण वश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि कब तक कार्यभार सम्भालेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी।
4. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 15 (1) वित्त / नियम / 2017 दिनांकः 30.10.2017 के अन्तर्गत 15 दिवस आकस्मिक अवकाश देय है।
5. परिवीक्षाधीन अवधि में नियम पारिश्रमिक से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
6. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 6 (6) एफ.डी. / रूल्स / 2005 दिनाक 13.03.2006 के अनुसार मेडिक्लेम इन्श्योरेन्स योजना प्रभावी होगी।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवम् आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षा काल समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
8. 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–5 में किया जाकर नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
9. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ / कनिष्ठ अभ्यर्थियों से पूर्व में अथवा बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी

वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर प्राप्त मैरिट सूची के आधार पर ही होगा।

10. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांकः एफ. 13 (1) वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवम् 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवम् गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र इस सम्बन्ध में लागू होंगे।
14. अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता द्वारा इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (2) डी.ओ.पी./क-2/2005 दिनांक 20.01.2006 एवम् वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांकःएफ.12(6)एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ.6(6)एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफ.डी./रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/ 2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम-2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होंगे।
16. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
17. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
18. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

ई.ओ.बी. 250

(राजीव दासोत IPS)
महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

<u>प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांकः प. 1 (2) प्र.सु./अनु-3/2020 दिनांक 18.06.2020 के क्रम मे।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बार्ड, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. उप महासमादेष्टा–द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. सीनियर स्टाफ आफिसर–प्रथम/द्वितीय, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर।
9. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर।
10. श्री मदन मोहन जोशी, वरिष्ठ सहायक, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।
11. श्री रवि कुमार मलहोत्रा पुत्र श्री मोहन लाल मलहोत्रा, गांव–खेडाबाढ रामगढ, तहसील–गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर।
12. निजी पत्रावली।
13. ई.ओ.बी.।

27.8.2020

महानिदेशक
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।